छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक एफ 2–10/2006/1/6: रायपुर,,दिनांक 13 सितंबर, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदाय हेतु निर्धारित शुल्क के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः– समसंख्यक अधिसूचना दिनाँक 11.10.2005 एवं दिनांक12 अक्टूबर,,2006.

सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2–10/2006/1–6 दिनाँक 12 अक्टूबर, 2006 की प्रति राज्य के निचले स्तर पर पदस्थ जनसूचना अधिकारियों तक नहीं पहुँच सकी है। इस कारण जनसूचना अधिकारियों द्वारा संकलित जानकारी के लिए प्रति पृष्ठ रू. 100/– की मांग अभी भी की जा रही है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। चूंकि शासन द्वारा अधिसूचना दिनॉक 09 मार्च, 2006 को निरस्त कर अधिसूचना दिनाँक 12 अक्टूबर, 2006 जारी की जा चुकी है,जिसके अनुसार यह शुल्क अब अधिसूचना दिनाँक 11.10.2005 में निर्धारित अनुसार रूपये दो प्रति पृष्ठ की दर से ही लिया जाना निर्धारित है।

2. इसी प्रकार नगद शुल्क प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था भी कुछ विभागों /कार्यालयों द्वारा अभी तक नहीं की गई है ।

3. अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/ सार्वजनिक उपक्रम/जिला/विकासखण्ड/तहसील/पंचायत स्तर के कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों तक उक्त अधिसूचना दिनाँक 12 अक्टूबर 2006 की प्रति पहुँचाना सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 11.10.2005 में निर्धारित अनुसार शुल्क ही आवेदकों से लिया जाना तथा नगद शुल्क जमा करने के लिए समुचित रसीद प्रदान करने की व्यवस्था भी सभी कार्यालयों में सुनिश्चित की जाए।

(व्ही.के.राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग